संख्या-2392/23-1-2013-72सा0/12

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
वित्त/ग्रामीण अभियंत्रण/
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास/
पंचायतीराज/कृषि विपणन एवं
कृषि विदेश व्यापार/ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 21 नवम्बर, 2013

विषय- प्रदेश के समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु "उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013" का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश में ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास, त्वरित आवागमन, कृषि व औद्योगिक उत्पादों के उचित विपणन तथा सुचारू वितरण हेतु सुदृढ़ मार्ग व्यवस्था अपरिहार्य है। इसके लिए प्रदेश में ग्राम सम्पर्क मार्गों को मुख्य मार्गों से जोड़ना एवं इनका नियमित रख-रखाव एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में स्थित ग्राम सम्पर्क मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग (राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद) तथा पंचायतीराज विभाग(जिला पंचायत) द्वारा कराया जाता है। वर्तमान में ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु कोई समेकित एवं व्यापक नीति विद्यमान नहीं है तथा ग्राम सम्पर्क मार्गों की कुल लम्बाई के अनुसार समुचित वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों के नियमित अनुरक्षण हेतु 'उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013' निम्नवत् निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

'उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'

1. परिभाषाएं (1) "प्रदेश" से अभिप्राय उत्तर प्रदेश से है।

(2) "ग्राम सम्पर्क मार्ग" से अभिप्राय ऐसे मार्गों से है, जो ग्रामों अथवा ग्राम-समूहों को एक दूसरे से तथा उन्हें समीपवर्ती किसी उच्चतर श्रेणी के मार्ग से जोड़ता हो।

(3) "अनुरक्षण" से अभिप्राय ग्राम सम्पर्क मार्गों की सामान्य मरम्मत/ विशेष मरम्मत/सतह नवीनीकरण से है जिसमें मिट्टी के कार्य द्वारा तटबन्ध एवं पटरी सुधार भी सम्मिलित है।

...2/-

(वाई० के० गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता (मु०-1)
लो०नि०वि०, लखनऊ

2. उद्देश्य (1) प्रदेश के समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों को मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार निरन्तर अनुरक्षित किया जाना तथा निर्धारित समय चक्रानुक्रम के आधार पर मार्ग की सतह का नवीनीकरण किया जाना।

3. नीतिगत सिद्धान्त (1) जिस विभाग द्वारा ग्राम सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जायेगा(ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को छोड़कर), उक्त मार्ग उसी विभाग के पारम्परिक स्वामित्व का माना जायेगा तथा मार्ग के अनुरक्षण का दायित्व भी उसी विभाग का होगा।

(2) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा विभागों/संस्थाओं के बजट से निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्गों पर पंचायतीराज विभाग का स्वामित्व माना जायेगा।

(3) विशेष परिस्थिति में अपवाद स्वरूप यदि किसी विभाग द्वारा पूर्व निर्मित मार्ग पर दूसरे विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य कराया जाना है तो इस संबंध में दो विकल्प होंगे:-

(i) दोनों विभागों द्वारा पारस्परिक सहमति से पैतृक विभाग से मार्ग का हस्तान्तरण होने के पश्चात अनुरक्षण कार्य कराया जायेगा।

अथवा

(ii) पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात दूसरे विभाग द्वारा मार्ग का अनुरक्षण कार्य कराया जा सकेगा।

(4) सुगम यातायात हेतु समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों को निरन्तर अनुरक्षित रखा जायेगा। मार्गों के अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित 'मेंटेनेन्स मैनुअल' के अनुसार कार्य कराया जायेगा। ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण के लिए यदि 'मेंटेनेन्स मैनुअल' में संशोधन की आवश्यकता होगी तो लोक निर्माण विभाग की उच्चस्तरीय तकनीकी समिति की बैठक कर आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे जिसमें अन्य चारों विभागों के तकनीकी विशेषज्ञ विशेष-आमंत्री के रूप में सम्मिलित रहेंगे।

(5) ग्राम सम्पर्क मार्गों पर सतह नवीनीकरण का कार्य सामान्यतः 8 वर्ष के चक्रानुक्रम के अनुसार किया जायेगा परन्तु काफी समय से पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध न हो पाने के कारण ग्राम सम्पर्क मार्गों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण है। अतः ग्राम सम्पर्क मार्गों के सतह नवीनीकरण/विशेष मरम्मत हेतु विभागवार निम्नवत आकलन किया जायेगा :-

...3/-

(i) विभागों द्वारा निर्मित मार्ग जो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं, बड़ंजा स्तर के हैं अथवा सीमेन्ट कांक्रीट स्तर तक निर्मित हैं, उनकी कुल लम्बाई में से घटाते हुए नवीनीकरण/विशेष मरम्मत की लम्बाई निर्धारित की जायेगी।

(ii) उपर्युक्तानुसार नवीनीकरण/विशेष मरम्मत हेतु निर्धारित लम्बाई में से सामान्यतः 2/3 लम्बाई में सतह नवीनीकरण एवं शेष 1/3 लम्बाई में विशेष मरम्मत का कार्य कराया जायेगा।

(iii) विभागों द्वारा ऐसे पूर्व निर्मित मार्ग जो उपर्युक्त प्रस्तर-3(5)(i) से आच्छादित हैं, का संबंधित विभाग द्वारा यथावश्यकता पुनर्निर्माण कराया जायेगा।

(6) ग्राम सम्पर्क मार्गों के सतह नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत का कार्य निम्नलिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा :-

(i) यदि ग्राम सम्पर्क मार्ग पर पूर्व निर्मित सतह प्रीमिक्स कारपेट की है तो निर्धारित समयावधि अर्थात 08 वर्ष के पश्चात मार्ग पर प्रथम सतह एवं द्वितीय सतह लेपन द्वारा ही नवीनीकरण का कार्य कराया जायेगा।

(ii) यदि मार्ग पूर्व से ही द्वितीय सतह लेपन तक निर्मित है तो नवीनीकरण का कार्य भी द्वितीय सतह लेपन द्वारा किया जायेगा।

(iii) यदि पूर्व निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त है तो विशेष मरम्मत के अन्तर्गत उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के पश्चात क्षतिग्रस्त भाग पर लेवलिंग कोट देते हुए प्रथम सतह लेपन करने के पश्चात द्वितीय सतह लेपन द्वारा कार्य कराया जायेगा। कार्य करने के पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात मार्ग के फोटोग्राफ भी संबंधित अभिलेखों में रखे जायेंगे।

(iv) ग्राम सम्पर्क मार्गों पर नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्य का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 02 वर्ष होगा।

(v) ग्राम सम्पर्क मार्गों की जिस लम्बाई में नवीनीकरण/विशेष मरम्मत का कार्य कराया जायेगा, उस भाग पर आगामी 02 वर्षों तक सामान्य मरम्मत हेतु कोई धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

(vi) ग्राम सम्पर्क मार्गों की जिस लम्बाई में नवीनीकरण/विशेष मरम्मत का

...4/-

कार्य कराया गया है, उस भाग पर 02 वर्षों के पश्चात आवश्यकतानुसार प्रत्येक वर्ष अधिकतम 10 प्रतिशत लम्बाई में मरम्मत आदि के कार्य अनुमन्य होंगे।

(vii) प्रशासकीय विभागों द्वारा अनुरक्षण कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्य-योजना बनाते हुए सतत् अनुश्रवण किया जायेगा।

4. वित्तीय संसाधन

(1) (i) कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग (राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद) द्वारा अपने ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण का कार्य परिषद के वित्तीय संसाधनों से कराया जायेगा।

(ii) ग्राम सम्पर्क मार्गों की सामान्य मरम्मत का कार्य चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ना विकास समितियों/परिषदों के धन से ही कराया जायेगा। मार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु आकलित/ अनुमानित धनराशि का 20 प्रतिशत गन्ना समितियों/लाभार्थी संस्थाओं से वित्त पोषित किया जायेगा तथा शेष 80 प्रतिशत धनराशि पूंजीगत पक्ष से राज्यांश के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

(iii) पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्गों का अनुरक्षण पंचायतीराज विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से संक्रमित धनराशि से किया जायेगा।

(iv) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा विभागों/संस्थाओं के बजट से निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्गों पर पंचायतीराज विभाग का स्वामित्व माना जायेगा तथा उक्त मार्गों का अनुरक्षण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा पंचायतीराज विभाग के माध्यम से प्राप्त धनराशि से डिपाजिट कार्य के रूप में किया जायेगा।

(v) लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य केन्द्रीय वित्त आयोग एवं प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय संसाधनों से कराया जायेगा।

(vi) प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुरक्षण हेतु जो कार्य स्वीकृत किए जायेंगे उनसे संबंधित पूर्ण धनराशि यथासम्भव एक बार में ही अवमुक्त की जायेगी जिससे 'टाइम ओवर रन' एवं 'कास्ट ओवर रन' न हो।

...5/-

5. ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण प्रबन्धन प्रणाली

(1) (i) ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा व जनपद स्तर पर प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग नोडल खण्ड होगा। प्रत्येक विभाग द्वारा किसी भी नये ग्राम सम्पर्क मार्ग के निर्माण अथवा पूर्व निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्ग के सुधार/सुदृढ़ीकरण कार्य की सूचना जनपदीय प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ताकि कार्यों की दोहरी स्वीकृति की सम्भावना न रहे।

(ii) समस्त विभागों द्वारा खण्ड/इकाई तथा राज्य स्तर पर ग्राम सम्पर्क मार्गों की इन्वेन्ट्री को इलेक्ट्रॉनिकली सुरक्षित अर्थात कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक के रूप में रखा जायेगा तथा समय-समय पर इसे अपडेट किया जायेगा। प्रत्येक विभाग द्वारा जनपद स्तर पर प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग को उक्त कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक (इन्वेन्ट्री) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक विभाग द्वारा ऐसी अपडेटेड कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक(इन्वेन्ट्री) केन्द्रीय रूप से लोक निर्माण विभाग मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त डाटा बैंक को केन्द्रीकृत कर रखा जायेगा। उक्त डाटा बैंक में मार्ग का नाम, मार्ग की सतह का प्रकार, मार्ग की लम्बाई, मार्ग के लेपित सतह की चौड़ाई, मार्ग की क्रस्ट की मोटाई, सबग्रेड में मिट्टी के इंजीनियरिंग गुण, स्थाई भूमि, पुल/पुलियों का विवरण, मार्ग का निर्माण/ नवीनीकरण का माह व वर्ष, मार्ग की वर्तमान दशा, मार्ग पर यातायात घनत्व, आदि विवरण रहेंगे।

(iii) ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु मार्गों का चयन लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित 'रोड कंडीशन इनडेक्स' (आर0सी0आई0) पर आधारित मार्गों की स्थिति, स्थानीय आवश्यकताओं एवं जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर किया जायेगा।

(iv) विभागों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 08 वर्षीय चक्रानुक्रम के आधार पर माह मार्च तक नवीनीकरण संबंधी कार्य-योजना अन्तिम की जायेगी तथा विशेष मरम्मत संबंधी कार्य-योजना दो चरणों में माह मार्च तथा माह अक्टूबर में अन्तिम की जायेगी।

(v) प्रत्येक विभाग द्वारा अपने ग्राम सम्पर्क मार्गों को क्लब करते हुए

...6/-

उपलब्ध संसाधनों तथा आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र विशेष निर्धारित करते हुए 'बैच मेंटेनेन्स कान्ट्रैक्ट' जैसी व्यवस्था लागू की जायेगी।

(vi) उक्त कार्यों के समुचित अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा जिसकी बैठक प्रत्येक 03 माह में अनिवार्य रूप से आहूत की जायेगी। यह समिति मार्गों के अनुरक्षण हेतु तैयार की गई कार्य-योजना, तत्संबंधी निर्गत शासनादेश, उपलब्ध वित्तीय स्वीकृतियों आदि के संबंध में अनुश्रवण करेगी।

(vii) शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया जायेगा जो विभागों द्वारा ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु बनाई गई कार्य-योजना एवं उसके समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। इस समिति की बैठक प्रत्येक 06 माह में अनिवार्य रूप से आहूत की जायेगी।

(viii) इस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न भ्रम की स्थिति में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति निर्णय लेगी जो समस्त संबंधित विभागों पर लागू होगा। इस नीति में आवश्यक संशोधन उच्च स्तरीय समिति की अनुसंशा पर किये जा सकेंगे।

6. कार्य क्षेत्र (1) (i) यह नीति समस्त संबंधित विभागों पर लागू होगी।

(ii) यह नीति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पी0एम0जी0एस0वाई0) के अन्तर्गत निर्मित मार्गों पर निर्धारित अनुरक्षण अनुबन्ध अवधि तक लागू नहीं होगी। इन मार्गों के लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण होने के उपरान्त लोक निर्माण विभाग द्वारा इस नीति के अन्तर्गत अनुरक्षण किया जायेगा।

2- कृपया प्रदेश के समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु उपर्युक्त निर्धारित नीति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

...7/-

संख्या-2392(1)/23-1-13-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार प्रथम (निर्माण), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग को इस आशय से प्रेषित की विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. लोक निर्माण विभाग के समस्त अनुभाग।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा० रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

119 (प्र० वि०)
आवक सं०.......कैम्प प्र०अ० (विकास)
दिनांक 10-12-13

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०,उ०प्र०

पत्रांक– 289 कैम्प–प्र0अ0विकास / 01 स्टेबुल2 / 13 दिनांक– 10-12-2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) / (परि0 / नि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0–1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, लखनऊ / इलाहाबाद / मेरठ।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।

10/12
(चित्रा स्वरूप)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष
लो०नि०वि० लखनऊ